NOC

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक पाली

क्रमांक : जिशिअ/मु.मा./सामान्य/मान्यता/2019/5547 दिनांक : 28/03/2019

प्रेषित,

सबंधित विधालय

श्री श्वेताम्बर मंडल आदर्श विधालय, रणकपुर रोड, सादड़ी - पाली

विषय : सत्र 2019–20 हेतु सीबीएसई/सीआईएससीई, नई दिल्ली से संबद्धता प्राप्त करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध मे ।

प्रसंग : शिविरा–मा/पीएसपी–सी/अ–2/60567/केमाशिबो/2019–20 दिनांक 27.03.2019

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि श्रीमान निदेशक महोदय के पत्रांक शिविरा–मा/पीएसपी–सी/अ–2/60567/केमाशिबो/2019–20 दिनांक 27.03.2019 की पालना मे निम्नांकित गैर सरकारी विधालयों को उनके नाम के सम्मुख सत्र एवं माध्यम के लिए के लिए केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली से संबद्धता प्राप्ति हेतु निम्न शर्तो के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

1. उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वर्ष 2019–20 के लिये ही मान्य होगा।
2. विधालय/संस्था द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं नियम 1993 तथा समय समय पर विभाग द्वारा निर्देशो की पालना की जावेगी।
3. विधालय/संस्था द्वारा राज्य/राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रमो मे भागीदारी निभाई जावेगी।
4. राज्य सरकार द्वारा समय समय पर बाल वाहिनी के क्रम में जारी किये गये दिशा निर्देशो की अक्षरशः पालना की जावेगी।
5. विधालय/संस्था द्वारा भारत सरकार व राजस्थान सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसरण मे समय समय पर जारी दिशा निर्देशो/नियमो की अक्षरशः पालना की जाएगी।
6. विधालय/संस्था परिसर में मोबाईल टॉवर स्थापित नही करेगी।
7. राजस्थान विधालय फीस का विनियमन अधिनियम–2016 नियम 2017 में वर्णित शर्तो की पालना करेगी।
8. राज्य सरकार एवं राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा विधालय का समय–समय पर निरीक्षण किया जा सकेगा तथा समय–समय पर विभाग एवं शासन द्वारा वांछित रिकोर्ड एवं दस्तावेज उपलब्ध कराने होगे।
9. विधालय में दिव्यांग जनो के लिये रेम्प एवं अन्य आवश्यक सुविधाऐं उपलब्ध करवायी जावेगी।
10. भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशो की पालना की जावेगी।
11. भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा आवश्यकता होने पर विधालय भवन का अधिग्रहण/उपयोग राजकीय कार्य के लिये किया जा सकेगा।

PRINCIPAL
ADARSH VIDYALAYA SECONDARY
RANAKPUR ROAD - SADRI (PALI)
AFF.No.-1731099 SCH Code - 11465

PTO......

उपरोक्त शर्तो की पालना नही किये जाने पर विभाग द्वारा राजस्थान गैर सरकारी संस्था अधिनियम–1989 एवं नियम 1993 के तहत विधालयो के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए विधालयो को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र रद् कर दिया जायेगा। जिसके परिणाम स्वरूप उक्त संस्था राज्य मे विधालय का संचालन नही कर सकेगी।

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	सम्बद्धता (CBSE/CISCE)	NOC देने का सत्र	माध्यम
1	सीरवी इंटरनेशनजल स्कूल निम्ब्रिया फार्म हाउस, भाकरवास, जैतारण, पाली	CBSE	2019-20	अंग्रेजी
2	श्री खेतलाजी मंडल आदर्श विधालय रणकपुर रोड़, सादड़ी ,पाली	CBSE	2019-20	अंग्रेजी
3	ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल रानी , पाली	CISCE	2019-20	अंग्रेजी

जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) मा.शि. पाली

क्रमाक : जिशिअ/मु.मा./सामान्य/मान्यता/2019/5548-51 दिनांक : 28/3/2019

प्रतिलिपि सूचनार्थ :–

1. श्रीमान निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा राज. बीकानेर।
2. श्रीमान संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा पाली मण्ड़ल पाली।
3. श्रीमान मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी पाली।
4. कार्यालय प्रति।

जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) मा.शि. पाली

PRINCIPAL
ADARSH VIDYALAYA SECONDARY
RANAKPUR ROAD - SADRI (PALI)
AFF.No.-1731099 SCH Code - 11465